Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Model Code of Conduct.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज है, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया था और यहां सारे सदस्यों की जानकारी के लिए यह है कि सभी सदस्य दिशा कमिटी के चेयरमैन होते हैं और दिशा कमिटी में वे निर्णय करते हैं । दिशा कमिटी में, जिलाधिकारी चूंकि सचिव होता है, यदि निर्णय नहीं होता है तो आपके अधिकार का हनन होता है । इस कारण से मैंने यहां प्रिविलेज मोशन मूव किया था । लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के केस के कारण, वहां के जिलाधिकारी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का केस चुनाव के छह महीने के बाद हमारे ऊपर किया, यह डेमोक्रेसी के लिए कितनी बड़ी समस्या होने वाली है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद कोई केस नहीं हो सकता है । अप्रैल में इलैक्शन हो गया, लेकिन यह केस अक्टूबर और नवंबर में हुआ । यदि इसको नहीं रोका गया तो पांच साल के बाद कोई दूसरी सरकार आएगी तो किसी भी सांसद के ऊपर, किसी भी विधायक के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का केस होगा । … (व्यवधान) सर, केवल एक मिनट मुझे सुन लीजिए । मैंने इलैक्शन कमीशन से कम्पलेंट की और इलैक्शन कमीशन ने उस जिलाधिकारी को हटाने का आदेश दिया तथा उसके ऊपरे मेजर पेनल्टी लगाने का ऑर्डर उन्होंने दिया । लेकिन वहां की राज्य सरकार, इलैक्शन कमीशन के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका विषय आ गया है ।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाइए । नियम 56 के तहत डीओपीटी को उस अधिकारी को सैक करना चाहिए । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, मैंने पहले भी बोल दिया कि आइटम नंबर 15, जिस पर पहले से चर्चा चली आ रही है, उसको हम लोग कंटीन्यू करते हैं । यह चर्चा क्लाइमेंट चेंज पर है ।

आदरणीय बिधूड़ी जी ।

12.10 hrs